

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
मांग संख्या 11
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009				
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़		
राजस्व पूंजी जोड़	500.00	113.44	613.44	932.36	116.21	1048.57	550.00	123.43	673.43		
	5.00	...	5.00	50.00	...	50.00		
	500.00	113.44	613.44	937.36	116.21	1053.57	600.00	123.43	723.43		
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं उद्योग	3451	...	24.20	24.20	...	24.95	24.95	...	26.68	26.68	
2. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	2852	3.00	1.80	4.80	2.00	4.57	6.57	...	1.80	1.80	
3. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान	2852	20.00	0.25	20.25	18.00	0.24	18.24	...	0.25	0.25	
4. भारतीय गुणवत्ता परिषद	2852	2.40	...	2.40	0.80	...	0.80	
5. एशियाई उत्पादकता संगठन	2852	...	4.50	4.50	...	3.84	3.84	...	4.50	4.50	
6. विश्व औद्योगिक संपदा संगठन	3475	...	0.45	0.45	...	0.31	0.31	...	0.45	0.45	
7. स्वायत्तशासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	2852	50.00	...	50.00	
अन्य प्रशासनिक सेवाएं											
8. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन	2070	2.00	15.34	17.34	1.80	15.13	16.93	3.00	17.09	20.09	
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं											
9. पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	3475	...	23.71	23.71	...	25.87	25.87	...	25.51	25.51	
10. भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री	3475	...	0.50	0.50	...	0.60	0.60	...	0.60	0.60	
11. बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण	3475	30.00	...	30.00	13.50	...	13.50	40.00	...	40.00	
12. राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पत्ति प्रबन्धन संस्थान	3475	2.50	...	2.50	...	0.20	0.20	
13. आर्थिक सलाहकार	3475	...	3.53	3.53	1.50	2.78	4.28	2.00	3.81	5.81	
14. बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)	3475	...	1.36	1.36	...	1.60	1.60	...	1.84	1.84	
जोड़ - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		30.00	29.10	59.10	17.50	30.85	48.35	42.00	31.96	73.96	
15. टैरिफ आयोग	2852	...	3.84	3.84	...	3.92	3.92	...	4.65	4.65	
16. नमक आयुक्त	2852	20.60	14.65	35.25	1.50	14.63	16.13	5.00	16.70	21.70	
17. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	11.00	1.50	12.50	9.00	1.50	10.50	...	1.50	1.50	
18. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान व प्रशिक्षण											
18.01 केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान	2852	4.00	...	4.00	1.76	...	1.76	
18.02 लुगदी और कागज उद्योग विकास परिषद	2852	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	...	2.50	2.50	
		जोड़	4.00	2.50	6.50	1.76	2.50	4.26	...	2.50	2.50
19. सीमेंट उद्योग विकास परिषद्	2852	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	...	3.50	3.50	
20. भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	2852	78.00	...	78.00	73.00	...	73.00	100.00	...	100.00	
21. अन्य योजनाएं	2852	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	
22. संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	8.07	8.07	...	7.67	7.67	...	8.07	8.07	
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय											
23. पिछड़े क्षेत्रों का विकास											
23.01 निवेश संबंधी सब्सिडी	2885	1.00	...	1.00	555.00	...	555.00	1.00	...	1.00	
23.02 विकास केन्द्र	2885	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	

सं. 11/औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	(करोड़ रुपए)									
23.03 जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज	2885	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
23.04 पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज (पूर्वनाम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज)	2885	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़-उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	36.01	...	36.01	585.01	...	585.01	56.01	...	56.01	
24. औद्योगिक आधारद्वारा उन्नयन स्कीम	2852	180.00	...	180.00	117.00	...	117.00	180.00	...	180.00
25. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद	2852	5.00	...	5.00	2.50	...	2.50
26. भारतीय रबर विनिर्माण संघ	2852	3.00	0.04	3.04	2.00	0.04	2.04	...	0.04	0.04
27. बॉयलर सर्वेक्षण	2852	...	0.18	0.18	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
28. राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	2852	5.00	3.50	8.50	1.50	2.44	3.94	...	3.62	3.62
29. प्रौद्योगिकी उन्नयन	2852	1.00	...	1.00
30. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त उपक्रम एशिया उद्यम और निवेश संवर्धन के कार्यक्रमलाप शुरु करना	2852	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	14.00	...	14.00
31. सरकारी उद्यमों में निवेश										
31.01 दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	4875	5.00	...	5.00	50.00	...	50.00
32. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान										
32.01 पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज (पूर्वनाम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज)	2552	89.99	...	89.99	89.99	...	89.99	99.99	...	99.99
कुल जोड़	500.00	113.44	613.44	937.36	116.21	1053.57	600.00	123.43	723.43	
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम	12875	5.00	...	5.00	50.00	...	50.00
ग. आयोजना परिव्यय										
1. इंजीनियरिंग उद्योग	12858	11.00	...	11.00	9.00	...	9.00
2. अन्य उद्योग	12875	333.00	...	333.00	235.86	...	235.86	402.00	...	402.00
3. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	36.01	...	36.01	585.01	...	585.01	56.01	...	56.01
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	30.00	...	30.00	17.50	...	17.50	42.00	...	42.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	89.99	...	89.99	89.99	...	89.99	99.99	...	99.99
जोड़	500.00	...	500.00	937.36	...	937.36	600.00	...	600.00	

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** इसमें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद:** इसमें इस संगठन, जिसकी स्थापना उत्पादकता के प्रति जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, उत्पादकता सर्वेक्षण, व्यावहारिक अनुसंधान आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी, के लिए अनुदानों की व्यवस्था की गई है।

3. **राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान:** इसकी स्थापना उद्योग में डिजाइन के प्रति चेतना पैदा करने और सरमिक डिजाइन, उत्पाद डिजाइन, वेशभूषा डिजाइन, और दृश्य संचार जैसे औद्योगिक डिजाइनों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवा प्रदान कराने के लिए की गई है। बजट में संस्थान के लिए सहायता-अनुदान की व्यवस्था है। बजट में राष्ट्रीय डिजाइन नीति के अंतर्गत नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान है।

4. **भारतीय गुणवत्ता परिषद:** भारतीय गुणवत्ता परिषद एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित कर के भारतीय उद्योग के प्रतिस्पर्धात्मक लाभों और इसके निर्यात निष्पादन में सुधार लाना है। 11वीं पंचवर्षीय परिषद का प्रस्ताव राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के तहत गतिविधियों को विस्तार देना तथा राष्ट्रीय वैचमार्किंग सेंटर और मानक अथवा प्रतिस्पर्धात्मकता की अनुपालना के प्रभाव के अध्ययन हेतु एक केन्द्र की स्थापना करना है।

5. **एशियाई उत्पादकता संगठन:** इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है।

6. **विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन:** इसमें डब्ल्यू.आई.पी.ओ. में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान की व्यवस्था की गई है।

7. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता:** इसमें सं. 11/औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

स्वायत्तशासी संस्थाओं यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, केन्द्रीय लुन्दी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद, केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माण अनुसंधान एसोसिएशन, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धी परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परियोजना आधारित सहायता देने का प्रावधान है।

अन्य प्रशासनिक सेवाएं:

8. **पेट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन:** इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का प्रशासन करता है। यह संस्था सभी प्राधिकरणों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर परामर्श देती है और पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, आदि को विस्फोटकों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण देती है। यह संगठन विस्फोटकों के विनिर्माण, परिष्करण, प्रसंस्करण, प्रबंध, भण्डारण, गुणवत्ता विनिर्देशों से संबंधित मानक तैयार करने और संशोधित करने में भारतीय मानक ब्यूरो और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय इत्यादि के साथ समन्वय करता है।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं:

9 और 10. **पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महा-नियंत्रक (सीजीपीडीटीएम); भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार:** यह कार्यालय औद्योगिक संपत्ति अधिकार से संबंधित कानून नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 (पंजीकरण और सुरक्षा) आदि को प्रशासित करता है।

11. **बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण:** पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक की सभी स्कीमों को एक समिश्र स्कीम, जिसके अंतर्गत पेटेंट कार्यालय, व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार शामिल है, के रूप में विलय कर दिया गया है।

12. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** इसमें बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसंधान की व्यवस्था की गई है।

13. **आर्थिक सलाहकार:** यह कार्यालय (i) आर्थिक नीतियों के सभी मामलों पर सलाह प्रदान करता है, (ii) औद्योगिक उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्तियों का परीक्षण करता है, औद्योगिक और आयात नीतियों के निर्माण में सहायता करता है, (iii) औद्योगिक क्षेत्र और विशिष्ट उद्योगों के संदर्भ में ऋण नीति, ऋण आयोजन और इसकी उपलब्धता से संबंधित मामलों का परीक्षण करता है, (iv) उद्योग के लिए वित्तीय प्रस्तावों और शुल्क/उगाहियों का विश्लेषण करता है, (v) औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान कार्यों का समन्वय करता है (vi) भारत में थोक मूल्यों के सूचकांकों का संकलन और विश्लेषण करता है।

14. **बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.):** इसकी स्थापना रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क भौगोलिक संकेतक के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की गई है। आई.पी.ए.बी. उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का स्थान लेता है। बजट व्यवस्था वेतन तथा बोर्ड के स्थापना संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए है।

15. **टैरिफ आयोग:** यह भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 से स्थापित आयोग की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। बाद में पहले के बी.आई.सी.पी. को टैरिफ आयोग में मिलाकर आयोग को मजबूत बनाया गया है।

16. **नमक आयुक्त:** यह संगठन केन्द्रीय नमक उपकर अधिनियम 1953 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है। यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा युक्ति संगत वितरण को भी विनियमित करता है। यह नियमित रूप से नमक की उपलब्धता और मूल्य को भी मानीटर करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और विकास कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है।

17. **केन्द्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान:** केन्द्रीय विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलूर नए डिजाइन और नियंत्रण प्रणालियों के विकास द्वारा इंजीनियरी उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाले धातुकर्म उद्योग के

विनिर्माण प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है। यह संस्थान प्रोटोटाइप्स का मूल्यांकन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, परीक्षण, धातु कटाई और उत्पादन प्रौद्योगिकी के संबंध में विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। यह उद्योग को अंशांकन, सी.ए.डी./सी.ए.एम. सेवा प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण और तकनीकी सूचना उपलब्ध कराता है। इस संस्थान ने इन संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव किया है (i) उद्योगों को "उद्योगों के लिए तैयार आर एण्ड डी अभिमुखी जनशक्ति संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु उत्कृष्टता अकादमी, और (ii) महत्वपूर्ण अनुप्रयुक्त नैनो प्रौद्योगिकी के उन्नयन और सहायता के लिए नैनो विनिर्माण प्रौद्योगिकी केन्द्र। इस कार्य में त्वरित नव-उत्पाद विकास के लिए मैकार्ट्रानिक्स वाले डिजिटल विनिर्माण और महत्वपूर्ण विनिर्माण कार्य किया जाना शामिल होगा।

18. औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण:

18.02 **लुगदी और कागज उद्योग विकास परिषद:** इसके अन्तर्गत लुगदी और कागज क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए केन्द्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान और कागज लुगदी एवं सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद को दिए गए अनुदान शामिल हैं।

19. **सीमेंट उद्योग के लिए विकास परिषद:** इसमें सीमेंट उद्योग के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु व्यवस्था की गई है।

20. **भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम:** 'भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)' नामक योजनागत स्कीम दसवीं योजना से चल रही है। इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं: चर्म उद्योग के एकीकृत विकास के लिए आधारभूत संरचना में प्रमुख कमियों को दूर करना, उत्पादकता बढ़ाने व मान्यता के लिए उद्योग में देखे गए दोषों को दूर करने की दिशा में राष्ट्रीय एजेंसियों को सक्रिय बनाना, मूल्य वर्धन और रोजगार, चर्म उद्योग के लिए निवेश/व्यापार विकास क्रियाकलाप चलाना और चर्म उद्योग के लिए एक सूचना आधार तैयार करना। यह कार्यक्रम पूंजी सब्सिडी संघटक के ज़रिए इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देता है।

21. **अन्य स्कीमों:** इसमें अशोक कागज मिल, असम एकक के लिए सहायता का प्रावधान है।

22. **संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन:** इसमें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन को अंशदान देने के लिये प्रावधान किया गया है।

उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय

23. पिछड़े क्षेत्रों का विकास

23.01 **औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी:** इसमें पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए प्रावधान है।

23.02 **विकास केंद्र:** इसमें विकास केंद्रों के लिए प्रावधान किया गया है। जून 1988 में भारत सरकार द्वारा घोषित विकास केंद्र योजना के तहत देश भर में 71 विकास केंद्रों की स्थापना किए जाने को मंजूरी दी गई है। इन विकास केंद्रों को उद्योगों को आकर्षित कराने हेतु सक्षम बनाने के लिए विद्युत, जल, दूरसंचार इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं। पूर्वोत्तर, जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित विकास केन्द्रों को दिनांक 31.3.2009 तक केन्द्रीय सहायता जारी रहेगी।

23.03 **जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज:** इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड, राज्यों के लिए औद्योगिक नीति में निहित विभिन्न स्कीमों के वित्तपोषण की व्यवस्था है।

23.04 **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज:** इसमें विभिन्न योजनाएं यथा केन्द्रीय पूंजी निवेश ब्याज सब्सिडी योजना, केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना, व्यापक बीमा योजना, के लिए पैकेज की व्यवस्था है। समेकित ढांचागत विकास योजना नामक एक नई योजना भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

24. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम:** औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन

स्कीम को इसकी अंतर्निहित शक्ति का निर्माण करके तीव्र एवं अनवरत निरन्तर औद्योगिक विकास में सहायता की दृष्टि से तैयार किया गया है।

25. **राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद:** इसमें राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद के लिए अनुदानों हेतु प्रावधान किया गया है।

26. **भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ:** इसमें भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ के अनुदानों के लिए प्रावधान किया गया है।

27. **बॉयलर का सर्वेक्षण:** इसमें बॉयलर के सर्वेक्षण के लिए अनुसंधान अध्ययनों हेतु बजट का प्रावधान है।

28. **राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद:** एक शीर्ष निकाय के रूप में इस परिषद का गठन ऐसे विनिर्माण क्षेत्रों के विकास को गति देने और बनाए रखने के लिए जिनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और जो विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित राष्ट्रीय स्तर के उद्योग/क्षेत्र विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश करे। स्थापना संबंधी व्ययों के अलावा, विभिन्न अध्ययनों, मूल्यांकन रिपोर्टों को तैयार करना और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने से जुड़े

कार्य करने की भी जरूरत है ताकि विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके।

30. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त उद्यम, एशियाई उद्यम (आईसीएवं जेवी) और औद्योगिक निवेश संवर्धन कार्यक्रमलाप:** भारत में निवेश संवर्धन कार्यक्रमलाप और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा संयुक्त उद्यम तथा एशियाई उद्यमों का विलय कर दिया गया है और इसमें इन योजनाओं के लिए प्रावधान है।

31. **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम:** इसकी स्थापना कुल 1,483 किमी लम्बाई की शामिल करते हुए 'दिल्ली मुम्बई औद्योगिक गलियारा' नामक परियोजना के माध्यम से दिल्ली - मुम्बई क्षेत्र के औद्योगिक आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु की गयी है और यह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र से गुजरेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान

32. **पूर्वोत्तर औद्योगिक पैकेज (पूर्वनाम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज):** सरकार के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय आयोजना आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभों और परियोजनाओं/स्कीमों के लिए निर्धारित किया जाना है।